

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-01/श्रम न्याय-01/2024 श्र०सं०...../विभागीय अधिसूचना सं० 19
दिनांक 16.07.2026 में अंकित "श्री राकेश कुमार-VI, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय,
मुजफ्फरपुर" के स्थान पर "श्री राकेश कुमार-IV, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय,
मुजफ्फरपुर" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत् रहेंगी।
3. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(उपेन्द्र प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-01/श्रम न्याय-01/2024.....35...../श्र०सं० पटना-01, दिनांक-14/8/26
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित
बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित
कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के
आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक
कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी
सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण/पीठासीन पदाधिकारी सभी श्रम न्यायालय,
बिहार/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर
प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/08/2026
सरकार के विशेष सचिव